

# कार्यालय: प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची

वन भवन, डोरण्डा, राँची-834002, Phone-0651-2481909 (O) / 2480413 (F), e-mail-pccfjharkhand@yahoo.co.in

पत्रांक: 5बी0-एन0पी0/भवन-10/(2016-17)

दिनांक: 15/3/17

प्रेषक: आर0आर0 हेन्डम, भा0व0से0,  
प्रधान मुख्य वन संरक्षक,  
झारखंड, राँची।

सेवा में,

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बोकारो।

विषय: वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 में गैर-योजना व्यय (विस्तृत), मांग संख्या-19, मुख्य शीर्ष-2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष-01-वानिकी, लघुशीर्ष-070-संचार तथा भवन के अधीन "02- भवन" उपशीर्ष में राशि के आवंटन के संबंध में।

प्रसंग:- वित्त विभाग, झारखंड सरकार का पत्रांक-29/ बी0टी0ई0-10/2015-16 /192/बजट राँची, दिनांक 30.03.2016 ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र से राशि व्यय करने की प्राप्त अनुमति के आलोक में "02-भवन" उपशीर्ष के "43-अनुरक्षण, मरम्मत एवं सुसज्जीकरण" इकाई में रू0 2,29,800/- (दो लाख उनतीस हजार आठ सौ रू0) मात्र की आवंटन दी जाती है।

1. यह आवंटन वित्त विभाग, झारखंड सरकार राँची के पत्रांक-29/ बी0टी0ई0-10/2015-16 /192/बजट राँची, दिनांक 30.03.2016 तथा बिहार सरकार, वित्त विभागीय ज्ञाप संख्या-एम0-4-05/98 2561/वि0 (2) दिनांक 17.04.1998 के आलोक में किया जाता है।
2. रोकड़ प्रवाह (कैश फ्लो) के संबंध में वित्त विभागीय पत्रांक वित्त 4-23/2003/ 1800 दिनांक 15.07.2003 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
3. आवंटन पत्र में अंकित विपत्र कोड के अनुसार ही लेखा संधारण किया जाय।
4. यह आवंटन आपके कार्यालय पत्रांक 111, दिनांक 17.01.2017 के आलोक में रामगढ़ वन प्रमंडल के लिए दिया जा रहा है। कार्यान्वित की जानेवाली भवनों का कार्य विवरणी संलग्न है।

**आवंटित राशि निम्नवत् शर्तों के साथ व्यय किया जाय :-**

- राशि का व्यय सक्षम स्तर से प्राप्त तकनीकी स्वीकृति के आलोक में ही आवंटित राशि का नियमानुसार तथा वित्त विभाग, झारखंड सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा निर्देश एवं वित्तीय नियमों के आलोक में ही किया जाय।
- कार्य पूरा किये जाने के पश्चात Utilization Certificate समय पर नियंत्री पदाधिकारी के स्तर से उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।
- आवंटित राशि का व्यय उसी भवन/आवास पर कराया जाय जिसके लिए राशि का आवंटन किया गया हो।
- आवंटित राशि से किसी भी हालत में अधिक निकासी एवं व्यय न किया जाय।

आवंटन आदेश पत्र संख्या- BBOBLD/02-16-17/15BLD की मूल प्रति अत्र-सह-संलग्न है।

अनु0-यथो0:

विश्वासभाजन,

ह0/-

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,  
झारखंड, राँची।

ज्ञापंक -1216

दिनांक 15/3/17

प्रतिलिपि- Envis Centre, Ranchi को आज ही विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,

झारखंड, राँची।

आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

Forest, Environment and Climate Change Department

आवंटन वषर 2016-17 में वयव हेतु निम्नांकित दरशए गर बजट शेष के समने अंकित राशि आवंटित की जाती है

पत्र संख्या - BBOBLD/02-16-17/15BLD

दिनांक - 15-Mar-2

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं0	निकासी एवं वयवन पदा.	आवंटित राशि
1	N 19 240601070020543 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 070 - मंचार तथा भवन 02 - भवन 05 - निर्माण 43 - अनुरक्षण, मरम्मत एवं सुसज्जीकरण (साभर्रा)	103328	BKRFOR012 KULWANT SINGH R.C.C.F. BOKARO REGION	229,800.00 रुपये दो लाख उन्तीस हजार आठ सै



योग:

229,800.00

क्रमिक योग:

रुपये दो लाख उन्तीस हजार आठ सै

(R.R. HEMBROM)

PCCF, JHARKHAND, RANCHI

15/03/17

वित्तीय वर्ष 2016-17 में गैर योजनान्तर्गत "02-भवन" उपशीर्ष के 43-अनुरक्षण, मरम्मत एवं सुसज्जिकरण (सामग्री) इकाई में कार्यान्वित की जाने वाली पदाधिकारियों / कर्मचारियों के सरकारी आवास, कार्यालय एवं वन विश्रामागार आदि का रखरखाव हेतु प्रस्तावित भवनों के लिए आवंटित राशि।

क्र० सं०	रीजन/प्रभाग का नाम	प्रमंडल का नाम	कार्य का विवरण	अनुरक्षण, मरम्मत एवं सुसज्जिकरण हेतु आवंटित राशि (रु० में)
1	2	3	4	5
1	क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बोकारो	रामगढ़ वन प्रमंडल, रामगढ़	वन प्रमंडल पदाधिकारी, रामगढ़ वन प्रमंडल के सरकारी आवासीय भवन की विशेष मरम्मत कार्य हेतु।	2,29,800
कुल राशि :-				2,29,800

(दो लाख उनतीस हजार आठ सौ रु० मात्र)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,  
झारखंड, रांची।